अपील सूचना अधिकार संख्या 86/2019 (GCMS 2019/00232) दुर्गारानी राठौड़, निवासी भवानी निकेतन, पूर्व गेस्ट हाउस के पास, सरदार शहर जिला चुरू (राज.) (मोबाईल नं. 94140-84114) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दुर्गारानी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला कलक्टर मजिस्ट्रेट, कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2019 के द्वारा सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250/-रूपये की शास्ति अधिरोपित करने, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं निःशुल्क सूचना उपलब्ध दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी दुर्गारानी राठौड ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

मेरे द्वारा नवीन पेट्रोल पम्मों के भूमि संपरिवर्तन एवं पेट्रोलियम अधिनियम 2002 के तहत जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए बने नियम एवं अन्य तथ्यों सहित दिनांक 01.06.2019 को जरिये स्पीड पोस्ट क्रमांक ER939438622IN पत्र प्रेषित किया गया, उक्त पत्र आपके कार्यालय में कब प्राप्त हुआ, उसकी प्राप्ति क्रमांक, दिनांक का सम्पूर्ण विवरण तथा इस संबंध में आपके द्वारा संस्थित की गई कार्यवाही मय संधारित नोटशीट की प्रमाणिता प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)।

कृपया वांछित सूचनाएँ जिस रूप में चाही गई है उसी रूप में धारा 7(9) का अनुसरण करते हुए अविलम्ब उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि इस कार्यालय के पत्रांक 1237 दिनांक 16.10.2019 से प्रार्थी की अपील जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाई गई थी परन्तु अपील का सम्बन्ध का उनसे न होने के कारण एवं उनके स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण मूल पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटाने पर इस कार्यालय के पत्रांक वाचक/20/ 1586 दिनांक 08.12.2020 से प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को अपीलार्थी की अपील उन्हें भिजवाई गई थी एवं सम्बन्धित कर्मचारी को तारीख पेशी पर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में उपलस्थित आने के लिए पाबन्द किया गया था एवं इस कार्यालय के स्मरण पत्र पत्र 12 दिनांक 06.01.2020 एवं 279 दिनांक 13.02.2020 के द्वारा भी पुनः सूचित किया गया था परन्तु प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से अपीलार्थी को उसके आवेदन दिनांक 15.06.2019 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है और न ही सम्बन्धित कार्मिक इस न्यायालय में उपस्थित हुआ जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं पर आदेश प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर भीतर नियमानुसार निर्णय पारित करें और यदि वांछित सूचना देय हो तो प्रार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करवायें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर